P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अनुसूचित जाति की प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक : गोरखपुर जनपद का प्रतिक अध्ययन

Factors Affecting The Fertility of Scheduled Castes: A Representative Study of Gorakhpur District

Paper Submission: 16/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

दुर्गावती यादव
शोध छात्रा,
भूगोल विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

गोरखपुर जनपद में अनुसूचित जाति में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्तर अन्य जातियों की तुलना में अच्छी नहीं है। प्रजनन दर अन्य जातियों की तुलना में अधिक पाई जाती है प्रजनन दर पर परिवार के प्रकार, महिलाओं की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर, महिलाओं की कार्यशीलता, उनकी आय, पतियों की शिक्षा एवं शिक्षा का स्तर, पतियों के कार्य का स्तर, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, पुत्र प्राप्ति की इच्छा तथा परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग आदि का धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जाति के परिवारों में पुरुष शिक्षा तथा उनकी आय का प्रभाव प्रजनन दर पर अधिक दिखायी देता है। शिक्षित महिलाएं भी परिवार के निर्णय में महत्वपूर्ण नहीं हो पाती हैं। इसीलिए प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि के साथ – साथ पुरुषों की साक्षरता में वृद्धि आवश्यक है। जिनका प्रभाव उनके परिवार के स्तर तथा बच्चों की संख्या पर अवश्य ही दिखाई देगा ।

In Gorakhpur district, the socio-economic status of women in scheduled castes is not good compared to other castes. The fertility rate is found to be higher than other castes, the type of family on fertility rate, women's education and educational level, women's workability, their income, the level of education and education of husbands, the level of work of husbands, marriage at a young age , Pregnancy at a young age, desire to have a son and use of family planning tools etc. have a positive and negative effect. The impact of male education and their income in scheduled caste families is more visible on fertility rate. Educated women also do not become important in family decision. That is why increasing the literacy rate of women as well as increasing the literacy of men is necessary to control the fertility rate. The effect of which will definitely be seen on the level of their family and number of children.

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति, परिवार नियोजन, प्रजननता ।
Scheduled Caste, Family Planning, Fertility.

प्रस्तावना

प्रजननता का अर्थ किसी स्त्री अथवा स्त्री समूह द्वारा किसी निश्चित अवधि में कुल जन्में सजीव बच्चों की वास्तविक संख्या से है। प्रजननता जनसंख्या की वह जैविक क्षमता है, जिसमें एक निश्चित समय के मध्य स्त्री या स्त्री समूह द्वारा कुल शिशु जन्म क्षमता से है। (सिंह 1996) स्त्री की प्रजनन क्षमता मानव समाज की भावी सन्तति की निरन्तरता का आधार है। प्रजननता एवं सन्तानोत्पादकता दोनों में पर्याप्त अन्तर है। सन्तानोत्पादकता से तात्पर्य महिलाओं की अधिकतम जन्म देने की क्षमता से है। यह अलग बात है कि, उसने वास्तव में किसी सजीव शिशु को जन्म दिया है अथवा नहीं। वेल्जामिन (1977) के अनुसार प्रजननता उस दर की माप है, जिससे कोई जनसंख्या अपनी सख्या में जन्म द्वारा वृद्धि करती है। जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि अनिवार्य रूप से प्रजननता द्वारा प्रभावित होते हैं। प्रजननता एक अस्थिर तत्व है, अतः इसके प्रभाव से किसी क्षेत्र की जनसंख्या में स्थिरता का अभाव मिलता है। प्रजननता के अधिक या कम होने पर जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र या मन्द होती है।

प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारकों में सामाजिक, आर्थिक व जनांकिकी कारक प्रमुख हैं। चांदना के अनुसार उत्पादकता को प्रभावित करने

वाले घटकों का परिसर विशाल है। जो जैविक आधार से लेकर राजनीतिक विचारों के अद्भुत सामाजिक नियंत्रण तक फैला हुआ है। उत्पादकता के आधारभूत कारक – प्रजनन क्षमता, विवाह के समय आयु, विवाहित जीवन काल आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की लंबी तालिका है। सुविधा के अनुसार इन्हें चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, यें हैं– जैविक (प्रजाति, स्त्री की क्षमता, स्वास्थ्य दशा) जनसांख्यिकी आयु संगठन, लिंग संगठन, नगरीकरण, विवाहित जीवन काल, स्त्रियों की क्रियाशीलता व अक्रियाशीलता) सामाजिक–सांस्कृतिक (जातिय संरचना, शिक्षा का स्तर, विवाह की आयु, रीति – रिवाज, परिवार नियोजन के प्रति धारणा) आर्थिक कारक (आय व आय का स्तर) आय प्रजननता को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक – शिक्षा, आय, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की प्रतिष्ठा, धर्म, समुदाय, पत्नी का कार्य व कार्य का स्तर, विवाह की आयु, स्वास्थ्य व पोषण स्तर, परिवार नियोजन के प्रति धारणा आदि है। समाज, संस्था व संस्कृति का भी प्रजनन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

गोरखपुर जनपद अनुसूचित जाति में महिलाओं की स्थिति अन्य जातियों की तुलना में अच्छी नहीं कही जा सकती है। उनके प्रजनन दर अन्य जातियों की तुलना में अधिक पाई जाती है अनुसूचित जाति में प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारकों के सापेक्षित महत्व के अध्ययन के लिए निम्न कारकों को प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषित किया गया है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध–पत्र में गोरखपुर जनपद की अनुसूचित जाति की प्रजननता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के अध्ययन के लिये प्राथमिक आकड़ों को एकत्रित किया गया है। प्राथमिक आकड़ों के संग्रहण के लिये एवं प्रतिचयन के लिये (Random Sampling Mathod) यदिच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़ों का संग्रह पूर्व निर्धारित पारिवारिक प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक आकड़ों के आधार पर विभिन्न उपर्युक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर मानचित्र की सहायता से आकड़ों का विश्लेष्ण किया गया है। निष्कर्षों की सत्यता, निर्धारण एवं परख हेतु उपर्युक्त गणितीय विधियों का यथासंभव प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा पुरुषों के प्रजनन दर पर विभिन्न कारकों का प्रजनन दर से अंतर–सम्बन्ध का विश्लेषण करना एवं प्रभावी कारकों का अध्ययन करना।

अनुसूचित जाति में परिवार का प्रकार एवं प्रजनन दर

भारतीय सामाजिक परिवेश में परिवार के प्रकार के रूप में एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार की प्रकृति रही है। महिलाओं के प्रजनन दर पर परिवार के प्रकार का भी प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार में बच्चे के पालन – पोषण का दायित्व केवल माता–पिता का न होकर पूरे परिवार का होता है। जिसके प्रभाव से प्रजनन – दर अधिक पाई जाती है (ओझा, 1971)। संयुक्त परिवार में दंपति के किसी भी निर्णय पर पूरे परिवार के सोच तथा निर्णय का प्रभाव रहता है, जबकि एकल परिवार में दम्पत्ति को ही सारे उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है। वह अपने परिवार के आकार का निर्धारण करने में स्वतंत्र होते हैं। अतः एकल परिवार की प्रजनन दर संयुक्त परिवार की प्रजनन दर से कम होती है। गोरखपुर जनपद में परिवारों के प्रकार के अनुसार सर्वेक्षित अनुसूचित जाति परिवारों में 154 महिलायें एकल परिवारों में (52.2 प्रतिशत) तथा 141 महिलायें संयुक्त परिवारों (47.8 प्रतिशत) में है।

तालिकाः 1, जनपद गोरखपुर : अनुसूचित जाति में परिवार का प्रकार एवं प्रजनन–दर – 2018

परिवार का प्रकार	कुल महिलाएं	प्रतिशत	प्रजनन दर
एकल	154	52.2	3.24
संयुक्त	141	47.8	3.46
कुल योग	295	100	3.35

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, 2018

तालिका से स्पष्ट है कि एकल परिवारों में कुल प्रजनन– दर 3.24 है जो कुल औसत (3.35) से कम है जबकि संयुक्त परिवारों में प्रजनन दर 3.46 है जो क्षेत्र के औसत (3.35) से अधिक है। स्पष्ट है कि संयुक्त परिवारों की मानसिकता बड़े परिवारों को प्रश्रय देती है। यही कारण है कि संयुक्त परिवारों में प्रजनन – दर एकल परिवारों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है।

अनुसूचित जाति में साक्षरता, शैक्षिक स्तर तथा प्रजनन दर

महिलाओं तथा पुरुषों की साक्षरता तथा उनका शैक्षिक स्तर उनके सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। प्रायः शिक्षित लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर अशिक्षित लोगों की तुलना में अधिक सुदृढ़ पाया जाता है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा प्रजनन दर को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है जिन क्षेत्रों में साक्षरता का उच्च स्तर पाया जाता है, सामान्यतया वहां पर प्रजनन दर भी कम पाई जाती है। साक्षरता प्रजनन दर को तीन प्रकार से प्रभावित करती है।

1. विद्यालयी वातावरण प्रत्यक्ष रूप से आदर्श परिवार का आकार निर्धारण करने के लिए तथापरिवार नियोजन के लिए प्रेरित करता है।
2. साक्षरता के कारण विवाह के उम्र में वृद्धि होती है। शिक्षा महिलाओं के उच्च स्तर के कार्य में वृद्धि करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रजनन को कम करने में सहायता प्रदान करती है।
3. शिक्षा सामजिक – आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करती है जो कि प्रजनन दर में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है।

सामान्यतया साक्षरता तथा प्रजनन–दर में ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है। शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ – साथ प्रजनन दर में कमी पाई जाती है। पुरुष तथा महिला की साक्षरता तथा शैक्षिक स्तर का प्रभाव प्रजनन दर पर अलग अलग – पड़ता है। इस प्रवृति के

अध्ययन में दोनों का अलग – अलग प्रजनन दर पर प्रभाव का आकलन किया गया है।

तालिकाः 2 गोरखपुर जनपदः प्रतिचयित गावों में अनुसूचित जाति का शैक्षिक स्तर एवं प्रजनन दर – 2018

शैक्षिक स्तर	महिला	प्रतिशत	जीवित बच्चे		पुरुष	प्रतिशत	जीवित बच्चे	
			संख्या	प्रजनन दर			संख्या	प्रजनन दर
अशिक्षित	203	68.81	728	3.58	120	40.67	511	4.26
प्राइमरी	48	52.17	152	3.16	65	22.03	216	3.32
उच्च प्राइमरी	24	26.09	65	2.70	46	15.59	115	2.50
माध्यमिक	13	14.13	29	2.23	41	13.89	99	2.41
स्नातक	5	5.43	8	1.6	18	1.10	37	2.05
स्नाकोत्तर	2	2.17	3	1.5	5	1.63	10	2.00
शिक्षित	92	31.19	260	2.82	175	59.33	477	2.73

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, 2018 ।

अनुसूचित महिलाओं की साक्षरता, शैक्षिक स्तर एवं प्रजनन दर

तालिका 2 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कुल सर्वेक्षित परिवारों में 68.81 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित तथा मात्र 31.19 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर सर्वाधिक 3.58 है, जो क्षेत्र के औसत प्रजनन दर 3.35 से अधिक है। सबसे अधिक अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन – दर भिलोरा गावं में 5.40 है। जो क्षेत्र के औसत प्रजनन दर से बहुत अधिक है। इसका कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा एवं परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव है। सबसे अधिक अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत कैम्पियरगंज विकासखण्ड के बिहारी गांव में 95 प्रतिशत है जिनकी प्रजनन दर 2.37 है। भिलोरा खुर्द में यद्यपि 27.8 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है, परन्तु उनकी प्रजनन दर 5.40 है। इसी प्रकार अतरौरा में अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 92.9 प्रतिशत है, परन्तु उसके बाद भी उनकी प्रजनन दर 2.38 है, जो क्षेत्र के औसत से बहुत कम है। देवीपुर में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 50 है, परन्तु प्रजनन दर 5. 2 है।

इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को अनेक बाधाओं जैसे – रूढ़िवादिता, गरीबी, कम उम्र में विवाह, परिवार का महिलाओं की शिक्षा के प्रति निराशावादी प्रवृत्ति आदि का सामना करना पड़ता है।

अनुसूचित शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर 2.82 है जो क्षेत्र के औसत प्रजनन दर 3.35 से बहुत कम है। शिक्षित महिलाओं में सबसे अधिक प्रजनन दर सहजनवां के सैरा गाँव में 4.00 है तथा सबसे कम शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर खोराबार के बडगों गाँव में 2.00 है। इस गांव के कम प्रजनन दर का प्रमुख कारण महिलाओं की साक्षरता का उच्च स्तर है। लेकिन जोधपुर ग्राम में 21 प्रतिशत साक्षरता पाये जाने के बाद भी प्रजनन दर 2.25 है।

सर्वेक्षित ग्रामो में कुछ ग्रामों में महिला साक्षरता दर अधिक होने पर भी प्रजनन दर अधिक है, वहीं निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत अधिक होने पर भी प्रजनन दर अधिक नहीं पायी जा रही है। अतः हम एक ऐसा नियम नही बना सकते कि गोरखपुर जनपद की अनुसूचित महिलाओं की साक्षरता तथा प्रजनन दर में

सर्वत्र ऋणात्मक सहसंबंध है स्पष्ट है कि महिला साक्षरता

के स्थान पर अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते है। जागरूकता, पुरुष साक्षरता तथा परिवार में निर्णय लेने का अधिकार आदि कारण संभवतः प्रभावी कारक है।

महिलाओं के शैक्षिक स्तर भी उनकी प्रजनन दर को प्रभावित करता है। शिक्षा के बढ़ते स्तर के साथ – साथ प्रजनन दर में भी कमी परिलक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि, इंटरमीडीएट उत्तीर्ण स्त्री के 2 बच्चे, हाईस्कूल स्तर के शिक्षा प्राप्त स्त्रियों में 4.6, मिडिल स्कूल के 5.0 तथा निरक्षर या कक्षा 5 उत्तीर्ण महिलाओं पर 6.6 बच्चों का औसत आता है।

N.F.H.S. ने उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण उपरान्त यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर 5.36, मिडिल से कम शिक्षा प्राप्त महिलाओं में प्रजनन दर 4.16, मिडिल तक 3.81 तथा हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में प्रजनन दर 2.55 है। स्पष्ट है कि शिक्षा तथा शिक्षा का स्तर प्रजनन दर को नियंत्रित करने का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरप्रदेश में अशिक्षित दम्पत्तियों के प्रजनन दर (3.79) शिक्षित दम्पतियों के प्रजनन – दर (2.63) की अपेक्षा उच्च पायी गयी। प्राइमरी दम्पतियों में प्रजनन दर 3.17, मिडिल से कम शिक्षित में 3.02 व मैट्रिक व सेकेंडरी से कम शिक्षित में 2.52, स्नातक से कम शिक्षित में 2.16 व स्नातक से अधिक शिक्षित दम्पतियों में प्रजनन दर 1.84 है अर्थात शैक्षिक स्तर में वृद्धि के साथ प्रजनन दर में कमी देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिलती है ।

शिक्षित अनुसूचित महिलाओं में सर्वाधिक प्रजनन – दर (3.16) प्राइमरी शिक्षा प्राप्त महिलाओं की है, जबकि सबसे कम प्रजनन दर स्नाकोत्तर शिक्षा प्राप्त महिलाओं में 1.5 देखने को मिलती है। शिक्षित महिलाओं में सर्वाधिक प्रजनन दर सैरा गावं में 4.00 है। इसका कारण यहाँ साक्षरता का स्तर सामान्य होने के वावजूद लोगों का मजदूरी कार्य में संलग्न होने के कारण परिवार

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

नियोजन सम्बन्धी जागरूकता का आभाव है। सर्वाधिक शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 72.73 प्रतिशत खोराबार विकासखण्ड गायघाट बुजुर्गगावं में है, जिसकी प्रजनन – दर 3.0 है। इसका कारण यह है कि यह गांव गोरखपुर नगरीय क्षेत्र के किनारे बसा है जिससे यहाँ पर पर्याप्त शिक्षण संस्थाओ की उपलब्धता, यातायात के साधनों की सुगमता एवं आर्थिक रूप से सम्पन्नता है। यहाँ पर लोगों के पास रोजगार के पर्याप्त साधन है। महिलाएं भी रोजगार में सक्रिय है। साथ ही साथ अधिक साक्षरता होने के कारण लोगों में शिक्षा विशेषकर महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता है।

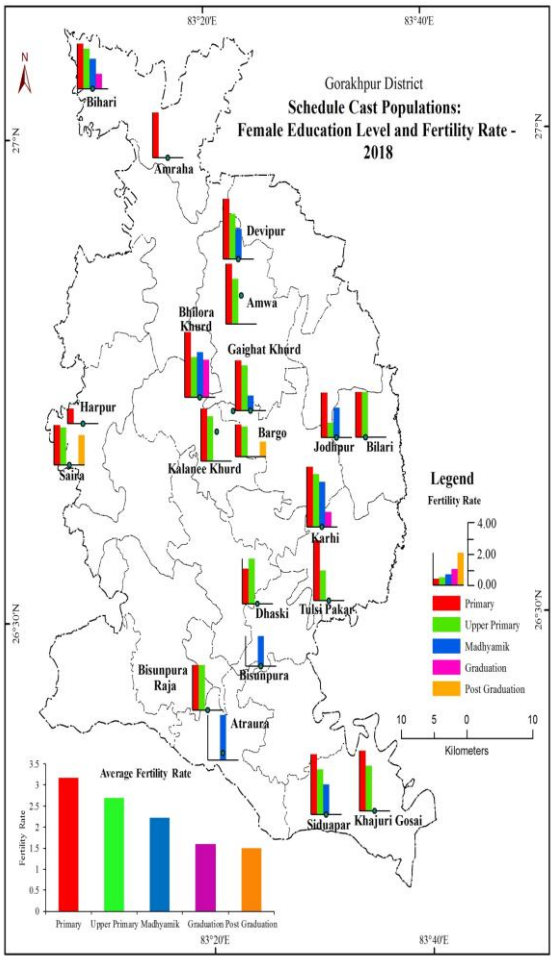

अनुसूचित पुरुषों की साक्षरता, शैक्षिक स्तर एवं प्रजनन दर

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के सामाजिक परिवेश में बच्चों की जन्म की संख्या अधिकांशतः महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसीलिए पुरुषों की साक्षरता तथा शिक्षा का स्तर भी प्रजननदर को प्रभावित करता है। शिक्षा कार्य के स्तर का आधार होती है। अधिकांशतः देखा गया है कि अधिक शिक्षित लोगों का कार्य स्तर भी अधिक ऊंचा होता है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रायः सुदृढ़ होती है। पति की शिक्षा के अनुसार महिलाओं की प्रजनन दर में अंतर पाया जाता है। आर० के० मुखर्जी द्वारा भारत के पतियों की शिक्षा और प्रजनन दर पर सर्वेक्षण कर यह निष्कर्ष दिया गया, कि अशिक्षित पतियों की पत्नियों में प्रजनन दर उच्च व शिक्षित पतियों की पत्नियों में प्रजनन दर निम्न पाई जाती है (ओझा 1977)।

स्पष्ट है, कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षित परिवारों में कुल 59.32 प्रतिशत पुरुष शिक्षित तथा 40.68 प्रतिशत पुरुष अशिक्षित हैं। अशिक्षित पुरुषों की पत्नियों में प्रजनन दर 4.26 है। जो क्षेत्र के औसत प्रजनन दर से बहुत अधिक है। अशिक्षित पुरुषों में सर्वाधिक प्रजनन दर विशुनपुर राजा, सिधुआपार, तथा देवीपुर तीनों गावों में 6. 00 है। अशिक्षित पुरुषों का सर्वाधिक प्रतिशत ब्रह्मपुर के तुलसी पकड़ गांव में 68.75 है, जिनकी स्त्रियों में प्रजनन – दर 3.91 है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक विपन्नता है। आर्थिक विपन्नता के कारण लोग कम उम्र में ही रोजगार एवं कृषि कार्यों में लग जाते हैं जिसके कारण बालकों को शिक्षा प्राप्ति हेतु अवसर नहीं मिलते हैं।

अनुसूचित शिक्षित पुरुषों में प्रजनन दर 2.73 है जो क्षेत्र के औसत प्रजनन दर 3.35 से कम है। शिक्षित पुरुषों में सर्वाधिक प्रजनन दर गोला के विशुनपुर राजा गावं में 3.80 है तथा सबसे कम प्रजनन दर अतरौरा गावं में 1.83 है।

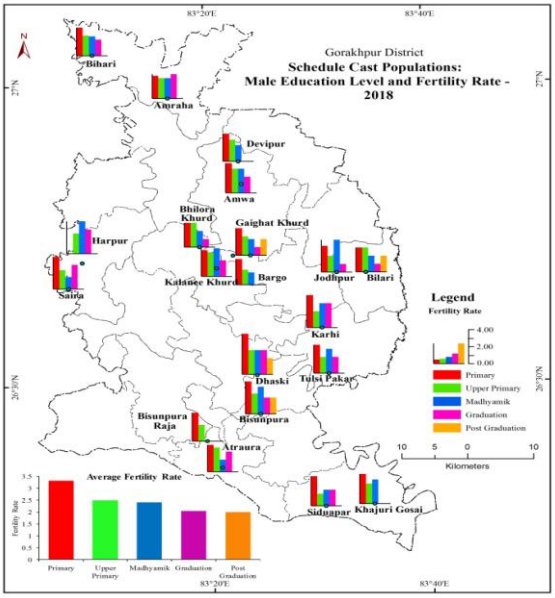

अध्ययन क्षेत्र के अनुसूचित शिक्षित पुरुषों में भी शिक्षा के स्तर के साथ – साथ प्रजनन दर में विभिन्नता देखने को मिलती है। शिक्षा के स्तर के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर 3.32 प्रतिशत प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त पतियों की पत्नियों में है, उच्च प्राइमरी शिक्षा प्राप्त में प्रजनन दर 2.50, माध्यमिक तक 2.41, स्नातक तक 2.05 जबकि सबसे न्यून प्रजनन दर स्नाकोत्तर व अन्य शिक्षा प्राप्त पति वर्ग की पत्नियों में 2.00 है। प्रजनन – दर में क्रमशः शिक्षा के स्तर में वृद्धि के साथ – साथ कमी परिलक्षित है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में पतियों की शिक्षा के स्तर का प्रभाव पत्नियों के प्रजनन – दर पर पड़ा है।

यदि अनुसूचित परिवार का पुरुष शिक्षित है तो वह अपने परिवार को शिक्षित रखने का प्रयास करता है,

जबकि स्त्री साक्षरता का प्रभाव परिवार के आकार पर कम दिखायी देता है, क्योंकि सभी निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के पास है।

अनुसूचित जाति की कार्यशीलता एवं प्रजनन दर

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक स्तर के निर्धारण में उनकी कार्यशीलता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक कार्यों में महिलाओं का भाग लेना उनके उतरदायित्वों को बढ़ाता है। भारत जैसे देश में जहां स्त्रियां सारे घरेलू कार्य स्वयं करती हैं, वहां स्त्रियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होने पर वे बाह्य संसार के संपर्क में आती हैं। अतः उनमें नवीन आर्थिक तथा सामाजिक चेतना का सृजन होता है, जो उन्हें उनके सामाजिक – आर्थिक स्तर को सुदृंढ करने में सहायता प्रदान करता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी प्रजननशीलता पर पड़ता है।

महिलाओं की कार्यशीलता एवं निम्न प्रजननशीलता के अनेक कारण हैं –

1. कार्यशील महिलाओं का विचार अपने उत्तरदायित्व के प्रति बदल जाने के कारण अधिक बच्चों के लिए उनकी इच्छा कम हो जाती है।
2. कार्यशील महिलाएं अपने कार्य में से, अपने बच्चों के देखभाल के लिए कम समय निकाल पाती है, जिस कारण से वे कम बच्चों की इच्छा रखती है।
3. कार्यशील महिला की शक्ति उसके परिवार में उसके सम्बन्धियों व पति के बीच बढ़ जाती है, तथा यह उसकी योग्यता में वृद्धि कर देती है जिससे यदि वह चाहे तो कम बच्चों की संख्या रख सकती है। सामान्यतया कार्यशील स्त्रियों की प्रजननशीलता गैर कार्यशील स्त्रियों की उत्पादकता से कम होती है क्योंकि–

i. सेवारत स्त्रियों की शिक्षा का स्तर उच्च होता है।
ii. सेवारत स्त्रियों के विवाह के समय सामान्यतया अधिक आयु होती है।
iii. सेवारत स्त्रियां शिक्षा तथा जागरूकता के कारण परिवार नियोजन के कृतिम साधनों का अधिक प्रयोग करती हैं।

अध्ययन क्षेत्र में भी महिलाओं की कार्यशीलता का प्रभाव प्रजनन दर पर पड़ा है।

अनुसूचित महिलाओं की कार्यशीलता एवं प्रजनन – दर

अध्ययन क्षेत्र में कुल अनुसूचित जाति की महिलाओं में से 32.20 प्रतिशत महिलायें कार्यशील है, जबकि 67.80 प्रतिशत महिलायें अकार्यशील है। अकार्यशील महिलाओं की औसत प्रजनन दर 3.46 है। कार्यशील महिलाओं में प्रजनन दर 3.12 है।

तालिकाः3 गोरखपुर जनपद : प्रतिचयित गावों में अनुसूचित जाति की कार्यशीलता एवं प्रजनन दर – 2018.

कार्य का प्रकार	महिलायें	प्रतिशत	बच्चों की सं.	प्रजनन दर	पुरुष	प्रतिशत	बच्चों की सं.	प्रजनन दर
अकार्यशील	200	67.80	692	3.46	34	11.53	154	4.53
मजदूर	58	61.05	196	3.37	167	63.98	609	3.64
कृषि कार्य	22	23.16	66	3.0	11	4.21	39	3.54
नौकरी	10	10.53	22	2.2	52	19.92	107	2.05
व्यवसाय	5	5.26	12	3.4	31	11.87	79	2.54
कुल कार्यशील	95	32.20	296	3.12	261	88.47	834	3.20
योग	295	100	988	3.35	295	100	988	3.35

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, 2018।

अनुसूचित जाति की कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक प्रजनन दर सैरा गावं में सर्वाधिक 6.00 है, जबकि अकार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक प्रजनन दर देवीपुर गावं में 5.67 है। कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक 61.05 प्रतिशत महिलायें मजदूरी में, 23.16 प्रतिशत कृषि कार्य में, 10.53 प्रतिशत नौकरी एवं 5.26 प्रतिशत व्यापार में संलग्न है। जिनकी प्रजनन दर कमशः 3.37, 3.00, 2.2 तथा 3.4 है। कार्यशील महिलाओं में कार्य के अनुसार महिलाओं की प्रजनन दर में अन्तर पाया गया है। कार्य के स्तर में वृद्धि के साथ ही प्रजनन दर में कमी पाई गयी है। अनुसूचित कार्यशील महिलाओं में सर्वाधिक प्रजनन दर मजदूरी करने वाली महिलाओं में 3.37 है, जबकि नौकरी में लगी महिलाओं की प्रजनन – दर 2.2 है। इसका प्रमुख कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं का कम पढ़ा – लिखा होना है। अध्ययन क्षेत्र में कुल 31.19 प्रतिशत अनुसूचित शिक्षित महिलाओं में से मात्र 7.6 प्रतिशत महिलाएं ही उच्च शिक्षा स्नाकोत्तर एवं स्नातक की शिक्षा प्राप्त है, जबकी कुल शिक्षित महिलाओं में 52.17 महिलाएं केवल प्राइमरी शिक्षा प्राप्त है अतः कम पढ़ी–लिखी होने के कारण अधिकतर महिलाएं मजदूरी कार्य में संलग्न है। अज्ञानता एवं आर्थिक विपन्नता के कारण अधिकतर महिलाओं को न तो नियोजन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त है और अगर कुछ महिलाओं को है भी तो वे उन्हें प्रयोग करना नहीं जानती है। इसके साथ ही साथ आर्थिक स्थिति से विपन्नता के कारण भी अनुसूचित महिलाएं नियोजन सम्बन्धी संसाधनों का प्रयोग नहीं करती हैं , जबकि नौकरी तथा व्यापार में लगी महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होने के कारण जागरूक है तथा वे आर्थिक रूप से सम्पन्न भी हैं। अतः नियोजन सम्बन्धी साधनों को उपयोग करती है। यही कारण है कि मजदूरी तथा कृषि कार्य में संलग्न महिलाओं में प्रजनन दर व्यापार तथा नौकरी में लगे महिलाओं की दर से अधिक है।

अनुसूचित जाति के पुरुषों की कार्यशीलता एवं प्रजनन दर

विश्व के अधिकांश समाजों में रोजी – रोटी का दायित्व पुरुषों पर ही निर्भर होता है। भारत में प्रत्येक व्यवसाय में लगे लोगों में प्रजनन दर समान नहीं पायी जाती है। कृषि, कृषक–श्रमिक तथा मजदूरी में संलग्न पुरुषों की पत्नियों की प्रजनन दर नौकरी या व्यवसाय में लगे पुरुषों की पत्नियों की प्रजनन– दर से उच्च होती है। अधिकतर अध्ययनों से पता चला है, कि भारतीय कृ

षक व मजदूरों में प्रजनन दर सामान्य से अधिक है, जबकि अन्य सेवाओं में लगे लोगों में प्रजनन दर इनकी तुलना में कम होती है (मंडेल, 1974)। जी० वी० सक्सेना (1981) द्वारा उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र व ई० डी० ड्राइवर द्वारा भारत में सर्वेक्षण द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि श्रमिक, कारीगर, व्यापारी, कृषक आदि में संलग्न लोगों की पत्नियों में प्रजनन – दर अन्य सेवा व प्रशासनिक रोजगार में लगे लोगों की तुलना में अधिक होता है।

अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति में अकार्यशील पुरुषों में प्रजनन दर 4.53 है तथा अनुसूचित जाति कार्यशील पुरुषों में प्रजनन दर 3.20 है। कार्यशील पुरुषों की स्त्रियों में सर्वाधिक प्रजनन दर बिशुनपुर राजा गांव में 4.67 है जबकि सबसे कम प्रजनन दर कौड़ीराम के विशुनपुर गांव में 2.06 है। सर्वाधिक प्रजनन दर मजदूरी में लगे पुरुषों की स्त्रियों में 3.64 है। उसके बाद कृषि कार्य में लगे पुरुषों की स्त्रियों में 3.54 है। इनकी प्रजनन दर अधिक होने का कारण इनका कम पढ़ा – लिखा होना है। व्यवसाय में लगे पुरुषों की पत्नियों की प्रजनन दर 2. 54 है तथा सबसे कम प्रजनन दर नौकरी में लगे पुरुषों की पत्नियों में 2.05 है। इसका कारण इनकी उच्च साक्षरता एवं जागरूकता है। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में पुरुषों के कार्य का प्रभाव उनकी पत्नियों की प्रजनन दर पर पड़ा है क्योंकि पुरुषों के कार्य का स्तर उनकी शिक्षा के स्तर द्वारा निर्धारित होता है।

4.अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति एवं प्रजनन – दर

परिवार का आर्थिक स्तर प्रजननता को प्रभावित करता है। सामान्यतया ऐसा देखने को मिलता है, कि जिन परिवारों का आर्थिक स्तर ऊँचा होता है उन परिवारों की प्रजननता दर निम्न आर्थिक स्तर वाले परिवारों की अपेक्षा कम होता है।

मुखर्जी एवं सिहं (1980) के अनुसार सामान्यतया उच्च आय–वर्गों में प्रजननता दर कम पायी जाती है तथा निम्न आय वर्गों में यह अधिक होती है। स्वास्थ्य बुलेटिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार (1986) की सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि एक परिवार मे ंप्रति व्यक्ति आय जितनी बढ़ती है उतनी ही बच्चों की संख्या कम होती जाती है। मजुमदार (1980) के अनुसार ग्रामीण क्षत्रों में यदि एक परिवार की 10 रूपये प्रति व्यक्ति आय है, तो उसके 3–4 बच्चे होते हैं लेकिन जब यह आय बढ़कर 11–20 तथा 21–30 रूपये प्रति व्यक्ति हो जाती है तब यह दर गिरकर 3.02 एवं 2.95 हो जाती है।

तालिका:4 गोरखपुर, जनपद :प्रतिचयित गावों की अनुसूचित जाति की आय एवं प्रजनन दर–2018.

आय प्रतिमाह	महिलायें	प्रतिशत	जीवित बच्चों की सं0	प्रजनन दर	पुरुष	प्रतिशत	जीवित बच्चों की सं0	प्रजनन दर
कुछ नहीं	200	67.80	692	3.46	34	11.53	154	4.53
<5000	66	69.47	222	3.36	66	25.29	269	4.08
5001 – 15000	27	28.42	69	2.56	169	64.75	500	2.96
15001 – 25000	1	1.05	3	3	18	6.90	44	2.44
25001 – 35000	–	–	–	–	4	1.53	13	3.25
35000 >	1	1.05	2	2	4	1.53	8	2.00
योग	95	32.20	296	3.12	261	88.47	834	3.20

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण, 2018

अ. अनुसूचित जाति की महिलाओं की आय एवं प्रजनन दर

महिलाओं का सामाजिक – आर्थिक स्तर उनकी आय से पूर्णतः सम्बंधित है महिलाओं की आय पारिवारिक आर्थिक स्तर को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है तथा पारिवारिक निर्णय लेने के सक्षम बनाती है। यही कारण है कि महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक स्तर में सुधार हेतु उनका आत्मनिर्भर होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।

कुल उत्तरदाताओं में 67.80 प्रतिशत अनुसूचित महिलाओं की आय का स्रोत कुछ नहीं है अर्थात वें गृह एवं घरेलू कार्यों में संलग्न हैं, जबकि 32.20 प्रतिशत महिलाएं विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती हैं। आय रहित अनुसूचित महिलाओं की प्रजननदर 3.46 है। जबकि आय प्राप्त करने वाली महिलाओं की प्रजनन दर 3.12 है। आय रहित अर्थात कुछ न कमाने वाली अनुसूचित महिलाओं में सबसे अधिक प्रजनन दर कैम्पियरगंज के देवीपुर गावं में 5.67 है एवं आय प्राप्त महिलाओं में सबसे अधिक प्रजनन दर गोला के विशुनपुर राजा गावं में 4.75 है। आय के स्तर भी प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं। आए में वृद्धि के साथ – साथ प्रजनन दर में कमी होती जाती है। अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रजनन – दर 5000 से कम आय वाली अनुसूचित महिलाओं में 3.36 है एवं न्यूनतम प्रजनन – दर 35000 से ऊपर की आय वाली अनुसूचित महिलाओं में 2.00 है। इसका कारण यह है कि अधिक आय वाली वह महिलाएं हैं जो या तो सरकारी नौकरी वाली हैं या प्राइवेट नौकरी वाली तथा यह महिलाएं अधिक पढ़ी–लिखी हैं, अतः इनकी प्रजनन दर अन्य महिलाओं की अपेक्षा कम है। कम आय वाली महिलाएं कम पढ़ी–लिखी होने के कारण अज्ञानतावश अधिक बच्चों को जन्म देती हैं।

ब. अनुसूचित जाति के पुरुषों की आय एवं प्रजनन दर –

प्रजनन दर को प्रभावित करने वाले कारकों में पति की आय भी एक प्रमुख कारक है। पतियों की आय के स्तर का प्रभाव महिलाओं के स्तर तथा प्रजनन दर पर भी पड़ता है। निम्न आय के वर्ग में महत्वकांक्षायें सीमित

होती हैं। इस आय वर्ग के अधिकांश व्यक्ति अधिक बच्चों को आय का स्रोत या ईश्वर की देन मानते हैं तथा उनमें बच्चों की शिक्षा तथा उत्तम पालन – पोषण देने की कोई आकांक्षा नहीं होती है। अतः बच्चें दायित्व नही समझे जाते हैं। इसी कारण निम्न आय वर्ग में प्रजनन दर अधिक पायी जाती है। इसके विपरीत उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में पति बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा पालन – पोषण के प्रति जागरूक होते हैं। अतः प्रजनन दर कम पायी जाती है (स्मिता, 1983)।

अध्ययन क्षेत्र में 11.53 प्रतिशत पुरुष आय रहित अर्थात कुछ नहीं कमाते हैं (वे या तो अपने पत्नियों की आय पर जीवन निर्वाह करते है या तो परिवार के अन्य सदस्यों की आय पर)। इनकी प्रजनन दर 4.53 है। आय रहित पुरुषों में सबसे अधिक प्रजनन दर सरदारनगर के बिलारी गाँव में 4.11 है। क्षेत्र में विभिन्न आय प्राप्त वर्ग लोगों का प्रतिशत 88.47 है तथा इनकी औसत प्रजनन दर 3.20 है। आय प्राप्त पुरुषों में सर्वाधिक प्रजनन दर गोला के विशुनपुर राजा गाँव में 4.67 है इसका कारण यह है कि यहाँ पर मजदूरी में लगे लोगों का प्रतिशत अधिक है, जिनकी आय कम है तथा ये लोग अपने बच्चों को ही कमाई का साधन मानते है। इनका कहना है की बच्चों की अधिक संख्या से इनकी घरेलू कार्यों एवं अन्य कार्यों में मदद मिलती है तथा ये विभिन्न आर्थिक कार्यो में संलग्न होकर भी परिवार की मदद करते हैं। आय के स्तर के अनुसार सबसे अधिक प्रजनन दर 5000 से अधिक आय प्राप्त पुरुषों में 4.08 तथा सबसे निम्न प्रजनन दर 35000 से अधिक आय प्राप्त पुरुषों की स्त्रियों में मात्र 2.00 है। अतः स्पष्ट है कि अधिक आय वाले पुरुषों की स्त्रियों में प्रजनन दर कम तथा कम आय वाले पुरुषों की स्त्रियों में प्रजनन दर अधिक पायी गई है। जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आय तथा प्रजनन दर में ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।

अनुसूचित महिलाओं की विवाह की आयु एवं प्रजनन दर

विवाह के समय आयु जनसंख्या के प्रजननता का आधारभूत कारक है। विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत स्त्री एवं पुरूष यौन सम्बन्धी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विवाह न केवल प्रजनन प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होता है, बल्कि प्रजननता के लिए पूर्व शर्त भी होती है। यह कहा जा सकता है, कि प्रजननता तथा विवाह के समय आयु का आपस में ऋणात्मक सहसम्बन्ध है, किन्तु प्रजननता तथा पति–पत्नी के बीच आयु का अन्तराल तथा विवाह अवधि का आपस में धनात्मक सम्बन्ध है। अत एव प्रजननता नियन्त्रण कार्यक्रम में स्त्री की विवाह के समय आयु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विवाह की आयु कम होने पर प्रजनन अवधि लंबी हो जाती है जिससे प्रजनन दर उच्च होती है दूसरी ओर देर से विवाह करने पर प्रजनन अवधि कम होने के कारण प्रजनन दर कम होती है। दण्डेकर (1985) के अनुसार यदि विवाह बिलम्ब सेकिया जाय तो स्त्रियों को बच्चा पैदा करने का समय कम मिलता है जिससे प्रजननता कम हो सकती है।

सयुंक्त राष्ट्र संघ द्वारा मैसूर के जनसंख्या अध्ययन (1985) में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14–17 वर्ष के मध्य जिन लड़कियों की शादी हुई उनकी प्रजनन दर 5 से 9 बच्चे थी, पर जिनकी 18 से 21 वर्ष के मध्य हुई उनकी प्रजनन दर 4–7 बच्चे ही रही सामान्यतया भारतीय स्त्रियाँ 15 से 50 वर्ष तक बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य रखती हैं।

तालिकाः 5 गोरखपुर जनपदः प्रतिचयित गाँवों में महिलाओं की विवाह की आयु एवं प्रजनन दर–2018.

विवाह की आयु	महिलायें	प्रतिशत	जीवित बच्चों की संख्या	प्रजनन दर
<16	19	6.44	89	4.68
16 – 18	140	47.46	501	3.58
19 – 21	112	37.96	331	2.96
>21	24	8.14	67	2.79
कुल योग	295	100	988	3.35

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, 2018।

तालिका से स्पष्ट है, कि सर्वेक्षित कुल महिलाओं में 6.44 प्रतिशत महिलायें 16 से कम उम्र में विवाहित, 47. 46 प्रतिशत महिलायें 16 – 18 वर्ष में विवाहित, 37.96 प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष तक तथा 8.1 प्रतिशत महिलायें 21 वर्ष से अधिक उम्र में विवाहित हैं। अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश लडकियों का विवाह 16 – 18 वर्ष की उम्र में हो जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में भी 53.9 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र तक हो गया है। कम उम्र में विवाह करने का कारण पूछने पर पता चला कि आर्थिक परेशानियों के कारण ये अपनी बालिकाओं को अधिक पढ़ा नही पाते हैं। कुछ परिवारों ने बताया कि वह अपनी लडकियों को अधिक पढ़ाने की जगह गृह कार्यों को सिखाना जरूरी समझते हैं। उनके अनुसार अधिक पढ़ – लिख कर लडकियाँ क्या करेंगी जब पूरी उम्र उन्हें घर गृहस्थी ही संभालना है। ऐसी रूढ़िवादी सोच आज भी अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित परिवारों में विद्धमान है, जिससे बहुत से अनुसूचित परिवार कम उम्र में ही अपनी लडकियों का विवाह कर देते हैं। कुछ परिवारों का कहना है कि अधिक पढ़ – लिख लेने के बाद उन्हें अपनी लडकियों के लिए अधिक पढ़ा – लिखा वर ढूँढने में परेशानी होती है तथा वो अधिक दहेज भी नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि लगभग अधिकांश परिवार अपनी लड़कियों का विवाह कम उम्र (18 वर्ष से कम उम्र) में ही कर देना चाहते हैं।

विवाह की उम्र में वृद्धि तथा प्रजनन – दर में ऋणात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है, अध्ययन क्षेत्र में भी ये ऋणात्मक स्थिति देखने को मिली है। 16 वर्ष से कम उम्र में विवाहित स्त्रियों में प्रजनन दर 4.68 है जो क्षेत्र के

औसत 3.5 से अधिक है। इस उम्र की महिलाओं में सबसे अधिक प्रजनन दर बिलारी गाँव में 7.0 है। गोला के विशुनपुर राजा में 16 वर्ष से कम उम्र में विवाहित सर्वाधिक स्त्रियाँ है जिनकी प्रजनन – दर 4.50 है। 16 – 18 वर्ष की उम्र में विवाहित स्त्रियों में प्रजनन – दर 3.58 है। इस आयु वर्ग में विवाहित अनुसूचित महिलाओं में सर्वाधिक प्रजनन दर देवीपुर में 5.25 तथा सबसे कम अतरौरा गाँव 2.11 में है। 19–21 वर्ष में विवाहित अनुसूचित स्त्रियों की औसत प्रजनन दर 2.96 है इस वर्ग में सबसे अधिक प्रजनन – दर सैरा में 4.33 तथा सबसे कम बिहारी गाँव में 1.83 है। सबसे कम प्रजनन दर 22 वर्ष से अधिक उम्र में विवाहित स्त्रियों में 2.79 है, जो क्षेत्र के औसत से कम है। 22 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में सर्वाधिक महिलाओं का प्रतिशत खोराबार विकासखण्ड में है, जिसकी प्रजनन दर 2.17 है। इस उम्र में सबसे अधिक प्रजनन दर जोधपुर, देवीपुर दोनों में 4.00 है।

स्पष्ट है कि विवाह की आयु में वृद्धि के साथ – साथ प्रजनन दर में कमी पायी जाती है अतः प्रजनन दर को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी विधि विवाह की आयु में वृद्धि करना है।

अनुसूचित दम्पतियों में पुत्र प्राप्ति की इच्छा एवं प्रजनन दर –

भारत जैसे देशों में धार्मिक मान्यताओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन मान्यताओं के अनुसार बिना पुत्र के वंश आगे नहीं बढ़ सकता। पुत्र द्वारा ही पिता को मुखाग्नि देने पर ही पिता को मोक्ष प्राप्त होने का विश्वास लोगों को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा व अनेक दंपतियों में एक से अधिक पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी प्रजनन दर को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। अध्ययन क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति के परिवारों के सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष इसी प्रवृति की ओर संकेत देते हैं। प्रथम सन्तान पुत्री होने पर परिवार का आकार तब तक बढ़ता रहता है,जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं हो जाती। पुत्र अभिलाषा प्रजनन दर को बढ़ाने का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है।

तालिका से स्पष्ट है, कि सर्वेक्षित गाँवों में 62.38 प्रतिशत अनुसूचित दम्पति 2 पुत्र तथा उससे अधिक पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते है, जिससे कारण प्रजनन दर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। यही कारण है, कि 1 पुत्र की इच्छा रखने वालों में प्रजनन दर सबसे कम 2.73 तथा 2 पुत्र की इच्छा रखने वालों में प्रजनन दर 3.08 है। 3 पुत्र की इच्छा रखने वाले दम्पतियों में प्रजनन दर क्षेत्र के औसत से अधिक 4.36 है। 3 से अधिक पुत्र की इच्छा रखने वालों में प्रजनन दर सर्वाधिक 4.57 है।

तालिका : 6 गोरखपुर जनपद, प्रतिचयित गावों की अनुसूचित दम्पतियों में पुत्र प्राप्ति कि इच्छा एवं प्रजनन दर –2018

पुत्र प्राप्ति इच्छा	कुल महिलायें		जीवित बच्चों की संख्या	प्रजनन दर
	संख्या	प्रतिशत		
3 से अधिक	38	12.88	174	4.57
3	47	15.93	205	4.36
2	99	33.55	305	3.08
1	111	37.62	304	2.73

स्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षित, 2018।

स्पष्ट है कि भारतीय समाज के समान ही अध्ययन क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति के परिवारों में भी पुत्र प्राप्ति कि इच्छा प्रजनन दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है तथा परिवार का आकार बड़ा करने को प्रेरित करती है।

अनुसूचित जनसंख्या में परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग व प्रजनन दर

परिवार नियोजन के साधनों को सामूहिक रूप से अपनाया जाना भी प्रजननता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। गर्भ निरोधक, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्वीकार्यता प्राप्त कर चुका है, भी प्रजननता को नियंत्रित कारक के रूप में प्रभावित कर रहा है। परिवार नियोजन के अस्थाई साधनों में महिला व पुरुष नसबंदी प्रमुख तथा अस्थायी साधनों में कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपरटी आदि सम्मिलित हैं। ये दोनों प्रकार के साधन प्रजनन दर को नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम है।

तालिका 7 ,गोरखपुर जनपदः प्रतिचयित गावों की अनुसूचित जाति में परिवार नियोजन एवं प्रजनन दर – 2018.

साधन	महिलायें		जीवित बच्चों की संख्या	प्रजनन दर
	संख्या	प्रतिशत		
अस्थायी साधन	36	12.20	121	3.36
स्थायी साधन	49	16.61	145	2.95
प्रयोग न करने वाली महिलायें	210	71.19	722	3.44

स्रोत – प्राथमिक सर्वेक्षित, 2018।

तालिका से स्पष्ट है, कि परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग न करने वाली कुल 71.19 प्रतिशत महिलायें है, जिनकी प्रजनन दर 3.44 है जो क्षेत्र के औसत प्रजनन दर से अधिक है, जबकि अस्थायी साधनों का प्रयोग करने वाली महिलाओं में प्रजनन दर 3.36 है सबसे कम प्रजनन दर स्थायी साधनों (महिला नसबंदी) वाली महिलाओं में 2.95 है। स्पष्ट है, कि परिवार नियोजन के साधन भी अनुसूचित महिलाओं की प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग अधिकतर अनुसूचित परिवारों में नही

होता है, अतः परिवार नियोजन के साधनों का अध्ययन क्षेत्र में प्रजनन दर को कम करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रजनन दर पर परिवार के प्रकार, महिलाओं की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर, महिलाओं की कार्यशीलता, उनकी आय, पतियों की शिक्षा एवं शिक्षा का स्तर, पतियों के कार्य का स्तर, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, पुत्र प्राप्ति की इच्छा तथा परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग आदि का धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण अनुसूचित जाति के परिवारों में प्रजनन दर में क्षेत्रीय विभिन्नता पायी जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकलता है, कि अनुसूचित जाति के परिवारों में पुरुष शिक्षा तथा उनकी आय का प्रभाव प्रजनन दर पर अधिक दिखायी देता है। शिक्षित महिलाएं भी परिवार के निर्णय में महत्वपूर्ण नहीं हो पाती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Agrawal S.N. (1977): India's Population Problems, Tata McGraw Hill, New Delhi: 197-198.*
2. *Oberai A.S., Singh H.K., Manmohan (1983): Causes and Consequences of Internal Migration: A Study in Indian Punjab, Oxford University Press, Bombay : 147.*
3. *Mandelbaum, D.G. (1974): Human Fertility in India, Barkeley University, Caifornia Press.*
4. *Smita (1983), Fertility Correlation of Urban Population: A Case Study of Campus Residents, Unpublished M.Phil. Dessertation, Punjab University, Chandigah.*
5. *National Family Health Survey (1992) U.P.*
6. *Chandana, R.C. Op. Cit :108-109.*
7. *Oberai A.S. & Singh, op. cit : 349.*
8. *Becueje- Garnier J. (1976): "Geography of Population", Longman London :-97-103.*
9. *Weller, R.H. (1974): A Cross Section Examination of the Relationship Between Wife's Current Employment Status and Cumulative Family Size. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association : 35.*
10. *Yadav. S.S. and V.S. Badari (1997): Age at Effective Marriage and Fertility: An Analysis of Data for North Kenara, The Journal of Family Welfare. Vol. 43. No. 3 : 61.*
11. *Sharma, D. (1990): Determinants of Fertility of Urban Population: A Case Study of Kullu Town , (Unpublished Ph-D. Thesis), Punjab University, Chandigarh.*
12. *vks>k j?kqukFk ¼1971½ tula[;k Hkwxksy] çfrek çdk'ku] dkuiqjA*
13. *lDlsuk] thå chå ¼1981½% xzkeh.k mÙkj çns'k esa fofHkUu tkfr;ksa ,oa lektksa esa çtuu ,oa e`R;qØe fofHkUurk] iq"ijkt çdk'ku] jhok%15*